

मांग संख्या ०८॥
मुख्य शीर्ष २०५३

मद कमांक १

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन कार्यरत कोटवारों के दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता होने पर अनुग्रह अनुदान हेतु आकस्मिकता निधि से ` 100 के प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक २

राज्य शासन द्वारा मोटर दुर्घटना में माननीय षष्ठम अतिरिक्त मोटर दावा अभिकरण दुर्ग द्वारा पारित निर्णयानुसार श्री पोषण कुमार को क्षतिपूर्ति ` 87,320 एवं श्रीमती निर्मला ठाकुर के न्यायालयीन प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार क्षतिपूर्ति हेतु ` 4,41,500 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ` 5,28,820 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक ३

विभाग के अधीनस्थ कार्यरत कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने के कारण उस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आकस्मिकता निधि से ` के प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक ४ से ८

राज्य शासन द्वारा नवीन राजस्व संभाग के संचालन हेतु आकस्मिकता निधि से ` 35.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

□ अतः स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ` 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।